HAMPTON SKY REALTY LIMITED

(Formerly Known as Ritesh Properties and Industries Limited)

Date: January 01, 2024

The Manager,
Department of Corporate Services,
Bombay Stock Exchange Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai — 400001

Scrip Code No.526407

<u>Sub: Newspaper Publication(s) for Notice of the Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the Company, E-Voting Information.</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Part A, Para A of Schedule III and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies of the newspaper advertisement published in the following newspaper, regarding completion of dispatch of the notice of the Extra Ordinary General Meeting (EGM) of Hampton Sky Realty Limited ("the Company") to be held on Thursday, the 25th January, 2024 at 12 Noon (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") only and e-Voting information for the EGM of the Company in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

- 1. Financial Express Newspaper;
- 2. Jansatta Newspaper;

Request you to please take the same on your records.

Thanking You, For and on behalf of Hampton Sky Realty Limited (Formerly known as Ritesh Properties and Industries Limited)

Tarandeep Kaur Company Secretary M No. ACS 42144

REGD. OFF.: 205,Second Floor, Kirti Mahal, Rajendra Place, Patel Nagar, West Delhi, Delhi 110008 – Mob: +91-9212359076 Email: riteshlimited8@gmail.com - CIN: L74899DL1987PLC027050

HEAD OFF.: Hampton Court Business, NH-95, Ldh-Chd Road, Ludhiana-141123(PB) – Tel:+91-8729000684/686

Email: info@riteshindustries.us - www.riteshindutries.us

ADMIN OFF.: Plot No. 312, Udyog Vihar, Phase IV, Gurugram 122015 (HR) PH: (0124) 4111582, 4369560

FE SUNDAY

UNDELIVERED

Notice under Sec. 13 (2) of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002

Sent on 12.10.2023 by Regd, Post/Speed Post / Courier to Mr. Parvez Ahmad S/O Late Mr. Shamshad Ahmad (BORROWER)

- Add: 1) 302, Mohalla Sher Mohammad, Pilibhit, Distt-Pilibhit-262001 2) K.G.N. 2 Colony, Pilibhit, Distt-Pilibhit - 262001 2. Mr. Afsar Ahmad S/O Mr. Abdul Aziz (GUARANTOR)
- Add: VillPauta Kalan, Po-Pauta Kalan, Pilibhit, Distt-Pilibhit 262001
- Mrs. Ruby W/O Mr. Mr. Parvez Ahmad (GUARANTOR) Add: 1) 302, Mohalla Sher Mohammad, Pilibhit, Distt-Pilibhit -262001

2) K.G.N. 2 Colony, Pilibhit, Distt-Pilibhit - 262001 Sub: Ioan account No.50372546978 with Indian Bank

Pakadia Naugawan Branch

You committed default in repayment of loans to the tune 18,73,834.00/due ie. Book balance+ MOI) with further interest at the agreed rate from

28.08.2023 till date of repayment The Bank issued notice under the Act Sec. 13 (2) of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 on 14.09.2023 calling upon you to repay the outstanding amount of 18,73,834.00/- as on 28.08.2023 The notice was sent to you by Regd post/courier/ (speed post/(*strike out whichever not applicable) has been

returned unserved. You are called upon to pay 18,73,834.00/- together with interest from 28.08.2023 till date of payment within 60 days from the date of this notice failing which Bank, will be constrained to exercise rights of enforcement of security interest as against the secured assets given in the schedule hereunder. This Notice is without prejudice to any other right/remedy available to the Secured Creditor.

'We draw attention to the provisions of Section 13(8) of the SARFAESI Ac and the Rules framed there under which deals with your rights of redemption over the securities

This Notice is without prejudice to any other remedy available to the Secured Creditor - including its right to proceed with the proceedings presently pending before DRT/RO of DRT/DRAT/Court and proceed with the execution of order/decree obtained/to be obtained.

Schedule of Mortgaged Property The specific details of the assets in which security interest is created are

enumerated hereunder: Residential House At Part of Gata No. 743, Civil Lines North, Pilibhit measuring 156.13 Sqmtr in the name of Mr. Parvez Ahmad S/O Late Mr. Shamshad Ahmad, bounded as under: North: House of Mrs. Tajmun Nisa East: Road 18 ft Wide South: Road 15ft Wide West: Plot of Mrs.

Kahkasha Note: All the previous proceedings under SARFAESI Act 2002 regarding the captioned account has been withdrawn.

Dated: 30.12.2023 Place : Pilibhit

The Authorized Officer, (Chief Manager of Indian Bank)

HAMPTON SKY REALTY LIMITED (Formerly known as Ritesh Properties and Industries Limited) Regd. Office: 205, Second Floor, Kirti Mahal, Rajendra Place,

Patel Nagar West, New Delhi, 110008

Corporate Office: Plot No. 312, Udyog Vihar, Phase -IV, Gurugram, 122015, Haryana, CIN: L74899DL1987PLC027050, Website: www.riteshindustries.us

E-mail ld: riteshlimited8@gmail.com, Phone: +91 92123 59076

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING ("EGM") AND E-VOTING INFORMATION

- Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting ("EGM") of the Members of Hampton Sky Realty Limited ("Company") (formerly known as Ritesh Properties and Industries Limited) will be held on Thursday, 25th January, 2024 at 12:00 noon (IST) through video conferencing ('VC')/other audio visual means ("OAVM") in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the rules made thereunder, read with General Circular dated 28th December, 2022, 5th May, 2020, 17th April, 2020 and 8th April, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), Circular dated 5th January, 2023 issued by SEBI read with other applicable circulars (Collectively referred as "Applicable Circulars") to transact the
- Pursuant to the Act and in accordance with the Applicable Circulars, the companies are allowed to conduct their EGM through VCor OAVM, which does not require physical presence of the Members, Directors, Auditors and other persons at common venue, in view of this, the EGM of the Company is being conducted through VC / OAVM facility. The deemed venue for the EGM shall be the Registered Office of the Company situated at 205, Second Floor, Kirti Mahal, Rajendra Place Patel Nagar, West Delhi, Central Delhi-110008. Hence, Members can attend and participate in the EGM through VC/OAVM only.
- In compliance with the Applicable Circulars, electronic copy of the Notice of the EGM of the Company, inter alia, indicating the process and manner of e-voting will be sent only through electronic mode to all the Members whose e-mail IDs are registered with the Company's Registrar & Share Transfer Agent ("RTA")/Depository Participant(s) ("DP") and whose appears in the register of members as on the close of business hours of 18th January, 2024. The members may note that the notice of EGM will also be available on the Company's website www.riteshindustries.us and website of BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com. Further, the Notice of EGM is also available on the website of Central Depositories Securities Limited ("CDSL")
- 4. In order to send notices and other communications/benefits to shareholders in electronic form, we request the Members of Hampton Sky Realty Limited ("Company") (formerly known as Ritesh Properties and Industries Limited), who have not yet registered/updated their email address, mobile number, PAN Number Address Changes and Bank Account Details, to register/update the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participants and in respect of Shares held in physical form by writing to the Company or Company's Registrar and Share Transfer Agent, "Skyline Financial Services Private Limited", the Registrar and Share Transfer Agent email: info@skylinerta.com, for sending certain documents/information as required. No action is required from shareholders whose email address, mobile number, Pan Number, address changes and bank account details, are already been
- In accordance with the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and in view of the aforesaid Applicable Circulars, the Company has engaged the services of CDSL to provide the facility of voting by electronic voting system to all the Members to enable them to cast their votes electronically during the EGM in respect of all the businesses to be transacted at the aforesaid Meeting. The facility of casting the votes by the Members using such electronic voting system from a place other than venue of the EGM ("remote e-voting") is also provided by CDSL Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may participate in the EGM but shall not be entitled to cast their votes again. The manner of remote e-voting by Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered or updated their email addresses is provided in the instructions for e-voting section which forms part of this Notice.
- Voting rights of the members for voting through remote e-voting or e voting system to be provided in the EGM, shall be in proportion to shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. January 18th, 2024. A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners (as at the end of the business hours) maintained by the depositories as on the cutoff date shall only be entitled to avail the facility of remote e voting or evoting system provide in the Meeting.
- The remote e-voting period commences from 09:00 a.m. IST on Monday, 22nd January, 2024 and ends at 5:00 p.m. IST on Wednesday, 24th January, 2024. Thereafter, e-voting module shall be disabled for voting by members. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change
- 8. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at www.evoting.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or the grievance can be addressed to Ms. Tarandeep Kaur, Company Secretary at the registered office of the Company or at email. riteshlimited8@gmail.com or at +91-9212359076.

9. IMPORTANT COMMUNICATION TO SHAREHOLDERS

Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide circular no. SEBI/HO/OIAE/OIAE IAD-1/P/CIR/2023/131 dated July 31, 2023 issued guidelines for online dispute resolution in the Indian securities market through the establishment of a common ODR Portal that uses online conciliation and online arbitration for resolution of disputes arising between investors/clients and listed companies / specified intermediaries/regulated entities in the securities market.

SEBI vide circular no. SEBI/HO/OIAE/OIAE IAD-1/P/CIR/2023/135 dated August 4, 2023 further clarified that the investor shall first take up his/her/their grievance with the Market Participant (Listed Companies, specified intermediaries, regulated entities) by lodging a complaint directly with the concerned Market Participant. If the grievance is not redressed satisfactorily, the investor may, escalate the same through the SCORES Portal https://scores.gov.in/scores/Welcome.html. After exhausting the above options, if the investor is not satisfied with the outcome, he/she/they can initiate dispute resolution through the ODR

The SMART ODR Portal can be accessed at: https://smartodr.in/login. For Hampton Sky Realty Limited

(formerly known as Ritesh Properties and Industries Limited)

(Tarandeep Kaur)

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता बागपत वृत्त. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कार्यालय परिसर, मण्डोला विहार, गाजियाबाद-201102 ईमेल:-circlem@upavp.com

अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण की सूचना

मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद के विभिन्न सेक्टरों में एकल / टू—बिड सिस्टम के अन्तर्गत ऑनलाईन ई-निविदा सूचना संख्या-1483 / पी०आर०ओ०-50ई / 59, दिनांक 30.12.2023 द्वारा आमंत्रित की गयी हैं। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाइट www.upavp.com एवं कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में देखा जा सकता है। अधीक्षण अभियना

Form No. 5

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow (Area of Jurisdiction : Part of Uttar Pradesh) Summons for filing Reply & appearance by publication O.A No. 275 of 2023

Summons to defendant under Section 19(4) of the Recovery of the Debts due to the Banks and Financial Institution Act, 1993 read with rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal procedure, Rules, 1993 BANK OF INDIA **VERSUS** M/S Shyam Traders & OTHERS

M/s. Shyam Traders Registered Office at Opp. Suraj Band, Railway Road, Dadri, Distt. Gautam Budha Nagar, U.P.-203207., Office at Opp. Priya Gold Factory, Pepsi Wall Gali, Surajpur – 201301, Greater Noida, Distt. Ghaziabad, U.P. 2. Mr. Mohit Garg S/o Late Ved Prakash Garg, R/o – Street No. 2, Hanuman Puri

Katehra Road, Dadri, Distt. Gautam Budha Nagar, U.P. 203207 3. Mrs. Sunita Garg W/o Late Ved Prakash Garg, R/o – Street No. 2, Hanuman Puri Katehra Road, Dadri, Distt. Gautam Budha Nagar, U.P. 203207

In the above noted application you are requested to file reply in Paper Book form in two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel / duly authorized agent after publication of summons and thereafter to appear before the Tribunal on 04/01/2024 at 10.30 A.M. failing

> REGISTRAR DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW

भौतिक कब्जा/नोटिस

मै० जय जगदम्बे टेडिंग कम्पनी. प्रो० श्रीमती हेमलता पत्नी श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता

which the application shall be heard and decided in your absence.

निवासी नवीन गल्ला मण्डी स्थल हाल निवासी मौ० रेवाडी तहसील व जिला एटा

न्यायालय जिलाधिकारी एटा के द्वारा वाद संख्याः 1076/2021 बैंक ऑफ बडौदा एटा बनाम मै० जय जगदम्बे टेडिंग कम्पनी श्रीमती हेमलता अन्तर्गत धारा–14. सरफेसी अधिनियम–2002 में पारित आदेश दिनांकः 16.12.2021 के अनुपालन हेत् आपको सुचित किया जाता है कि एक किता आवासीय मकान नं० 90/04 स्थित मौ० रेवाडी एटा परगना एटा सकीट तहसील व जिला एटा जिसका क्षेत्रफल - 66.0 वर्ग मीटर जिसकी सीमायें पूर्व में 10 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम में घर श्रीमती चन्द्रा देवी, उत्तर में 6 फीट चौडा रास्ता व दक्षिण में प्लाट श्री दयाशंकर है, का भौतिक/वास्तविक कब्जा यानी बैंक ऑफ बडौदा को दिलाया जाना है।

अतः यदि किसी अन्य न्यायालय का कोई आदेश वर्तमान में लागू न हो तो न्यायालय जिला मजिस्टेट महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 16.12.2021 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु दिनांकः 19.01.2024 नियत की जाती है। नियत तिथि को पूर्वान्ह 11:00 बजे बैंक ऑफ बडौदा के प्राधिकृत अधिकारी के साथ उक्त सम्पत्ति का हस्तान्तरण सुनिश्चित किया जायेगा।

तहसीलदार, एटा 30.12.2023

FORM B PUBLIC ANNOUNCEMENT

[Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016]

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF I-DZIRE HOSPITALITY PRIVATE LIMITED **PARTICULARS** DETAILS NAME OF CORPORATE DEBTOR I-Dzire Hospitality Private Limited Date of Incorporation of Corporate Debtor | 20/02/2014 Authority under which Corporate Debtor RoC-Delhi

is Incorporated/Registered U93000DL2014PTC265146 Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of Corporate Debtor Address of the registered office & principal 145 A/9, Kishangarh, Vasant Kuni, office (if any) of Corporate Debtor New Delhi-110070

Date of closure of Insolvency 05/12/2023 Resolution Process Liquidation commencement date 05/12/2023 (Order communicated to liquidator of Corporate Debtor Name: Ajay Gupta Name & Registration Number of Insolvency IBBI Regn. No: IBBI/IPA- 001/IP-P00140/2017-18/ 10304 Professional acting as Liquidator Address and Email of the liquidator B-7/45, First Floor, Safdarjung Enclave Extn.

as registered with the Board Address and e-mail to be used for idzire.cirp@gmail.com correspondence with the liquidator Last date for submission of Claims Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi Bench (Court-II) has ordered. the commencement of liquidation of the I-Dzire Hospitality Pvt Ltd on 05/12/2023 (Order communicated

The stakeholders of I-Dzire Hospitality Pvt Ltd are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 28/01/2024, to the liquidator at the address mentioned against item No.10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may

submit the claims with the proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties. Ajay Gupta Liquidator, for I-Dzire Hospitality Pvt Limited

IBBI Registration No: IBBI/IPA-001/IP-P00140/2017-18/10304 Regd. Address: B-7/45, 1st Floor, Safdarjung Enclave Extn., New Delhi-110029

(ऑर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय श्रीमान इन्द्रप्रीत सिंह जोश, पीठासीन अधिकारी कमर्शियल कोर्ट सं.१, कासना, गौतमबुद्धनगर, उ०प्र० सिविल वाद (कमर्शियल) सं0-189/2023

युको बैंक, ए बोडी कारपोरेट, इयुली कन्स्टीट्यूटिड अण्डर द वैंकिंग क0 (एक्यूशन एण्ड ट्रांसफर ऑफ अण्डरटेकिंग) एक्ट 1970 ऑफिस-10ए, बी टी.एम., सरानी कोलकाता-700001 व शाखार्ये सम्पूर्ण भारतवर्ष में व अन्य स्थान- सेक्टर-22, नोएडा शाखा ग्रीन इण्डिया पैलेस लेबर चौक अपोजिट सेक्टर-62 नोएडा गौतमबुद्धनगर द्वाारा ब्रांच मैनेजर व पल्लवी गर्ग आधार नं.3452 3777 0060, ई-मेल: sec.22@ucobank.co.inवादी

मैसर्स इनोवेटिव मशीन दल्स द्वारा प्रो० मौ० साकिव सैफी पता-45 फुटा रोड मेरठ रोड हिण्डन विहार गाजियाबाद उ०प्र०-201001.

अन्य पताः म.नं. 637 गली नं.4. हिण्डन विहार

गाजियाबाद उ०प्र०-201001प्रिनवादी हरगाह वादी ने आपके नाम एक नालिश वाद दायर की है। लिहाजा आपको हक्म होता है कि आप बतारीख 04/01/2024 बरवक्त 10 बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमें के हालात से करार वाकाई वाकिफ किया गया हो और कुछ उमराई अहम मुतल्लिका मुकदमा का जवाब दे सके, हाजिर हो और जवाबदेही दावा की करे और आपको

लाजिम है कि उसी रोज अपने दस्तोवज पेश करे जिस पर आप अपनी जवाबदेही के दस्तखत करना चाहते हो। बरवक्त मेरे दस्तख्त और मुहर अदालत के आज तारीख 24.11.2023

ई जारी किया गया। न्यायालय की मुहर

आदेशानुसार. हस्ताक्षर/मुन्सरिम, कमर्शियल कोर्ट सं०-1, गैतमबुद्ध नगर

NOTICE UNDER RULE-2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow- 226007 DRC No. 687/2020

FORM No. 1

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW

(Area of jurisdiction part of Uttar Pradesh)

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER

READ WITH SECTION 29 OF RECOVERY OF DENTS AND BANKRUPTCY ACT, 1993 BANK OF INDIA CERTIFICATE HOLDER

M/s NEW ROYAL PRINTERS & ANOTHER CERTIFICATE DEBTOR

1. M/s New Royal Printers, a proprietorship concern of Shri Jasvinder Singh, having its Principal Place of Business at 14/187, Raj Nagar. Near D.M. Office, Ghaziabad, UP Also at: Bhagati Complex, Sree Sunder Shastri Market, Govardhan Bve Pass Chauraha, Chautaa, Mathura, U.P. 2. Shri Jasvinder Singh son of Shri Gurmeet Singh, Resident of Care of Shri Ram Ji

Care of Mr. Param Jit Singh, Resident of Shastri Nagar, Ward No. 18, Opposite Dr. V.K. Ali Ghaziabad, U.P. DEFENDANTS 1. This is to notify that a sum of Rs. 18,95,968.44 [rupees Eighteen Lakhs Ninetyfive Thousand Nine Hundred Sixty-Eight and Paise Forty-four] together with

Arya Nagar, Opposite Life Line Hospital, Koshi Kasla, Mathura, UP. Also residing at:

- pendent-elite and future interest @12.00% per annum simple from the date of filing of the Original Application i.e. 27.04.2019 with cost till its realization in full Jointly and severally from the Certificate Debtors Nos. 1 and 2. You are hereby directed to pay within 15 days of the receipt of the notice, failing
- which the recovery shall be made in accordance with The Recovery of Debts & Bankruptcy Act, 1993.
- 3. You are hereby ordered to declare on affidavit the particulars of asset en or before 01.02.2024
- You are hereby ordered to appear before the undersigned on 01.02.2024 at 10:30

In additions to the sum aforesaid you will be liable to pay the following cost: **Detail of Cost**

Rs. 21,000=00 Application Fee: Advocate Fee: Rs. Not Claimed Paper Publication charges Rs. Not Claimed Misc. Expenses: Rs. Not Claimed Rs. Not Claimed Expenses of Filing of OA Rs. Not Claimed

Bharti Colony Preet Vihar Delhi - 110092

should not be granted:

Given under my hand and the Seal on this 09th day of November 2023 RECOVERY OFFICER-II

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW

[See Regulation - 15(1)(a)] / 16(3) DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, CHANDIGARH (DRT-2) 1st Floor, SCO 33-34-35, Sector-17A, Chandigarh, (Additional space allotted on 3rd & 4th Floor also) CASE NO. OA/3148/2018

Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of

the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993 Exh. No. 21480 ALLAHABAD BANK

> Vs. AMIT GUPTA

2. Supercity Developers Pvt. Ltd. Through Its Md Having its Registered Office at 6

WHEREAS, OA/3148/2018 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 27-12-2023.

WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 28,67,218/- (application along with copies of documents etc. annexed).

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are (i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for

(ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application; (iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other

assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application pending hearing and disposal of the application for attachment of properties; (iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course

of his business any of the assets over which security interest is created and or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal; (v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets

or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 20/01/2024 at 10:30A.M. failing which the

application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: 28/12/2023.

CAPITAL

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

Signature of the officer Authorised to issue summons

Aditya Birla Finance Ltd.

Branch Office: 17, 1st Floor, Vijaya Bank Building, Barakhamba Road, New Delhi - 110001

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE [Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

Whereas. The undersigned being the authorized officer of the Aditya Birla Finance Limited. 2nd Floor, Vijaya Building, 17, Barakhamba Road, New Delhi-110001 under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice under section 13(2) of the SARFAESI Act, 2002 dated 18.10.23 Calling upon the Borrowers/co-Borrowers i.e. M/s Novel Technoplast Private Limited Through Director, Sanjiv Dhawan, Rajiv Dhawan to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 6,46,73,896.40/- (Rupees Six Crores Forty-Six Lakhs Seventy-Three Thousand Eight Hundred Ninety-Six and Paise Forty Only) by way of outstanding principal, arrears, accrued late charges and interest due as on

The borrower/ Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Aditya Birla Finance Limited, 2nd Floor, Vijaya Building, 17, Barakhamba Road, New Delhi-110001 for an amount Rs. 6.46.73.896.40/- (Rupees Six Crores Forty-Six Lakhs Seventy-Three Thousand Eight Hundred Ninety-Six and Paise Forty Only) and interest thereon.

The borrower's/ Guarantor attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the said Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Immovable Property All that part and parcel of the Mortgaged Property being:

"D-15/AB, Ground Floor, Second Floor & Third Floor With Further Roof Right, Situated At: Vijay Nagar, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009"

Place: Delhi

Date: 29/12/23

Authorized Officer (Aditya Birla Finance Limited)

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE Accici Bank | Branch Office, 10101 Bank | Karol Bagh, Delhi- 110005 Branch Office: ICICI Bank Ltd, 3rd Floor, Plot No- 23, New Rohtak Road,

The undersigned being the Authorized Officer of ICICI Bank Limited under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

As the borrower failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of ICICI Bank Limited.

Description

of Property/ Date of

	Mohd Tohid / TBSAH00006248211	Pertaining to Khasra No 518 Min, Situated At Dara Kottala Swad Bairoom Pargana and Tehsil Saharanpur Dar Abadi New Hanuman Nagar Colony Saharanpur Uttar Pradesh- 247001/ December 28, 2023	RS. 21,46,028/-	
16	mortgaged properties	rowers(s)/ guarantors(s) are hereby given a 30 day no will be sold on the expiry of 30 days from the date of pu	blication of this Notic	

ICICI Bank Limited

July 25, 2023 Saharanpur

Branch

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

[See Regulation - 15(1)(a)] / 16(3) DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, CHANDIGARH (DRT-2) 1st Floor, SCO 33-34-35, Sector-17A, Chandigarh, (Additional space allotted on 3rd & 4th Floor also)

CASE NO. OA/325/2019 Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of

the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993 Exh. No. 21520 UNION BANK OF INDIA VS MUNESH KUMAR SON OF LAKSHMI CHAND

(1) Munesh Kumar Son of Lakshmi Chand D/W/S/o Lakshmi Chand, Munesh Kumar Son of Lakshmi Chand, R/o House No. 20, Village Rehnwa Baraheri PO Jasat Tehsil

(2) Harphool Singh S/o Bhoop Singh, R/o Singh Village Rahnwa Baraheri, PO Jast, Tehsil Pataudi, Gurgaon, Haryana SUMMONS

WHEREAS, OA/325/2019 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on

Pataudi District Gurgaon, Haryana

13-12-2023. WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said

Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 21,18,514/- (application along with copies of documents etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under:-

(i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted:

(ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application;

(iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other

assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties; (iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application

without the prior approval of the Tribunal: (v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security

You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 16/03/2024 at 10:30A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: 28/12/2023.

Signature of the officer Authorised to issue summons



CLASSIFIED AD DEPOT (CAD)

Book classified ads at your nearest Express **Group's authorised Classified Ad Depots**

EAST

PATPARGANJ: CHAVI ADVERTISERS, Ph.: 9899701024, 22090987, 22235837, **PREET VIHAR**: AD BRIDGE COMMU-NICATION. Ph.: 9810029747. 42421234. 22017210. **SHAKARPUR**: PARICHAY ADVERTISING & MARKETING. Ph.: 9350309890, 22519890, 22549890

WEST

JANAKPURI: TRIMURTI ADVERTISERS, Ph.: 9810234206. 25530307, KAROL BAGH (REGHARPURA): K R ADVERTIS-ERS, Ph.: 9810316618, 9310316618, 41547697, KARAM-PURA: GMJ ADVERTISING & MARKETING PVT. LTD., Ph.: 9310333777, 9211333777, 9810883377, **NEW MOTI** NAGAR: MITTAL ADVERTISING, Ph.: 25178183, 9810538183, 9555945923, **MOTI NAGAR**: UMA ADVER-TISERS, Ph.: 9312272149, 8800276797, RAMESH NAGAR: POSITIVE ADS, Ph.: 9891195327, 9310006777, 65418908, TILAK NAGAR: SHIVA ADVERTISERS, Ph.: 9891461543, 25980670. 20518836. **VIKAS PURI** : AAKAR ADVT. MEDIA Ph.: 9810401352, 9015907873, 9268796133

CENTRAL

CHANDNI CHOWK: RAMNIWAS ADVERTISING & MARKET-ING, Ph.: 9810145272, 23912577, 23928577, **CONNAUGHT** PLACE: HARI OM ADVERTISING COMPANY Ph.: 9811555181, 43751196

NORTH

TIS HAZARI COURT: SAI ADVERTISING, Ph.: 9811117748 KINGWAY CAMP : SHAGUN ADVERTISING, Ph.: 9818505505, 27458589, PATEL CHEST (OPP. MORRIS NAGAR POLICE STATION): MAHAN ADVERTISING & MAR-KETING, Ph.: 9350304609, 7042590693, PITAMPURA (PRASHANT VIHAR) : PAAVAN ADVERTISER Ph.: 9311564460, 9311288839, 47057929

SOUTH

CHATTARPUR: A & M MEDIA ADVERTISING. Ph.: 9811602901, 65181100, 26301008, **KALKAJI** : ADWIN ADVERTISING, Ph.: 9811111825, 41605556, 26462690, MALVIYA NAGAR: POOJA ADVERTISING & MARKETING SERVICE, Ph.: 9891081700, 24331091, 46568866, YUSUF **SARAI:** TANEJA ADVERTISEMENT & MARKETING Ph.: 9810843218, 26561814, 26510090

FARIDABAD (NEELAM FLYOVER) : AID TIME (INDIA) ADVERTISING, Ph.: 9811195834, 0129-2412798, 2434654, FARIDABAD (NIT, KALYAN SINGH CHOWK) : PULSE ADVERTISING, Ph.: 9818078183, 9811502088, 0129-4166498, FARIDABAD: SURAJ ADVERTISING & MARKET-ING, Ph.: 9810680954, 9953526681, GURGAON: SAMBOD-HI MEDIA PVT. LTD., Ph.: 0124-4065447, 9711277174, 9910633399. GURGAON: AD MEDIA ADVERTISING & PR. Ph.: 9873804580, **NOIDA (SEC. 29)**: RDX ADVERTISING, Ph.: 9899268321, 0120-4315917, NOIDA (SEC. 65): SRI SAI MEDIA, Ph.: 0120-4216117, NOIDA (SEC. 58): JAI LAKSHMI ADVERTISERS, Ph.: 9873807457, 9911911719 GHAZIABAD (HAPUR ROAD TIRAHA, NR GURUDWARA): TIRUPATI BALAJI ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9818373200, 8130640000, 0120-4561000

EDUCATION (IAS & PMT ACADEMIES)

FRIENDS PUBLICITY SERVICE 23287653, 23276901, 9212008155

ROHIT JOSHI 9818505947, ABHINAV GUPTA 9910035901 For booking classified ads, please contact 011-23702148,

0120-6651215, E-mail: delhi.classifieds@expressindia.com

For CAD enquiries please contact:

financialexp.epap.in

Date: 30.12.2023 Place : Gurugram Company Secretary

Account Number Symbolic Possession House on Plot No 8 & Eastern Part of Plot No 9 Mohd Naseer/

Date: December 30, 2023

Place: Saharanpur

Name of the

Borrower/ Loan

the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002. **Authorized Officer**

New Delhi

Registered Office: Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat - 362266

16.10.23 within 60 days from the date of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read

with rule 8 and 9 of the said rule on this 29th day of the month December of the year 2023.

Description of the Immovable Property

Date of Demand

Notice (Rs.)

सरकारी बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा में साइबर सुरक्षा पर चचा

नई दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा)।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रमुखों के साथ बैठक की और उनके वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा की। सुत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान साइबर सुरक्षा से संबंधित चिंताओं और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े जोखिमों पर चर्चा हुई।

उन्होंने बताया कि इस दौरान धोखाधड़ी और जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों से जुड़े मुद्दे और राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) की प्रगति पर भी चर्चा हुई। आम बजट 2024-25 को पेश करने और अगले साल के अंत में होने वाले आम चुनाव से पहले यह

रिम गोविल होंगी आइओसी की

अगली मानव संसाधन निदेशक

रश्मि गोविल सार्वजनिक क्षेत्र की

इंडियन आयल कारपोरेशन (आइओसी)

की नई निदेशक (मानव संसाधन) होंगी।

सरकारी नियोक्ता सार्वजनिक उद्यम चयन

बोर्ड (पीईएसबी) की अधिसूचना के

अनुसार इस पद के लिए उनके नाम की

ने इस पद के लिए आइओसी के पांच

कर्मियों समेत कुल 11 उम्मीदवारों का

साक्षात्कार लिया और इसके बाद रश्मि

गोविल को नियक्त किया। वह इस समय

आइओसी में कार्यकारी निदेशक (एचआरडी

एवं ईआर) हैं। गोविल, रंजन कुमार महापात्र

की जगह लेंगी। वह आइओसी में 1994 में

शामिल हुईं थीं और लगभग तीन दशकों से

अधिसूचना में बताया गया कि पीईएसबी

नई दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा)।

अनुशंसा की गई है।

कंपनी के साथ हैं।



संभवतः आखिरी पूर्ण समीक्षा बैठक है। पीएसयू बैंकों ने चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान लगभग 68.500 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है। इन बैंकों के नतीजों के मुताबिक 2022-23 के दौरान उनकी बैलेंस शीट स्वस्थ गति से बढ़ी, तथा जमा और ऋण वृद्धि दोनों में तेजी

इस महीने की शुरुआत में वित्त मंत्रालय ने पीएसबी के प्रमुखों के साथ एक समीक्षा बैठक की थी और उन्हें अपनी खराब संपत्तियों के प्रबंधन के तहत सभी मामलों, विशेष रूप से शीर्ष 20 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आइबीसी) मामलों की निगरानी करने के लिए कहा। पीएसबी के प्रबंध निदेशकों और सीईओ के साथ एक बैठक के दौरान वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने उनसे शीर्ष 20 आइबीसी मामलों की मासिक समीक्षा करने को कहा।

किसान समागम में नवउद्यम

निजी संस्थानों और विभागों के होंगे 100 'स्टाल'

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से 1 जनवरी को झारखंड के खरसावां में किसान समागम का आयोजन किया जा रहा है। मेले में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े सरकारी विभागों, निजी संस्थानों, स्टार्टअप की ओर से 100 से अधिक स्टाल लगाए जाएंगे।

प्रदेश के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की अध्यक्षता और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के मुख्य आतिथ्य में इसका शुभारंभ होगा। कृषि से जुड़े क्षेत्रों को और अधिक उन्नत

व फायदेमंद बनाने के लिए मंत्रालय की ओर से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की संस्थाओं, राष्ट्रीय बीज निगम, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, इफको, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, अटारी (पटना) समेत दुसरी संस्थाओं के सहयोग से यह आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कृषि प्रक्रिया, उत्पादों, नवीनतम कृषि-मशीनरी और किसान अनुकुल प्रथाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। यह मेला कृषि वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, नीति-निर्माताओं व कृषि अधिकारियों को अपने अनुभव साझा करने का मंच होगा। मेले में प्राकृतिक खेती, ड्रोन का कृषि में उपयोग तथा

कृषि उद्यम के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।

बोइंग ने 737 मैक्स विमानों के हार्डवेयर की जांच करने को कहा

नई दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा)।

बोइंग ने एयरलाइंसों से बी७३७ मैक्स विमानों के हार्डवेयर में ढीले कलपूर्जों की जांच करने की सिफारिश की है। इससे पहले एक अंतरराष्ट्रीय परिचालक ने नियमित रखरखाव के दौरान पाया था कि एक बोल्ट का नट गायब है। इसके बाद उक्त सिफारिश की गई। बोइंग ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि एक विमान में पहचानी गई समस्या का समाधान कर लिया गया है।

भारत में तीन एअरलाइनों – अकासा एअर, स्पाइसजेट और एअर इंडिया एक्सप्रेस - के बेड़े में बी737 मैक्स विमान हैं। इससे पहले अमेरिकी विमानन नियामक फेडरल एविएशन एडिमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने गुरुवार को एक बयान में कहा था कि वह ढीले नट-बोल्ट के लिए बोइंग 737 मैक्स विमानों की बारीकी से निगरानी कर

इस संबंध में स्पाइसजेट और एअर इंडिया एक्सप्रेस को भेजे गए सवालों के जवाब नहीं मिले, हालांकि अकासा एअर ने कहा कि इस समस्या से अब तक उसके परिचालन बेडे और विमान आपुर्ति पर कोई असर नहीं पडा है।

'वाइब्रेंट गुजरात' के लिए 28 देशों, 14 संगठनों ने भागीदार बनने की पृष्टि की

गांधीनगर, 30 दिसंबर (भाषा)।

आगामी वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन (वीजीजीएस) 2024 के लिए अब तक 28 देशों और 14 संगठनों ने भागीदार बनने की पृष्टि की है। 'भविष्य का प्रवेशद्वार' विषय पर आधारित वीजीजीएस का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा।

भागीदार बनने की पृष्टि करने वाले देशों में आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, चेक गणराज्य, मिस्र, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, केन्या, मलेशिया, माल्टा, मोरक्को, मोजाम्बिक, नेपाल, नीदरलैंड, नार्वे, पोलैंड, कोरिया गणराज्य, रवांडा, सिंगापुर, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, उरुग्वे, घाना और वियतनाम हैं।

भागीदार बनने वाले संगठनों में अमेरिकन चैंबर आफ कामर्स इन इंडिया, ईपीआइसी इंडिया- शिकागो विश्वविद्यालय, इंडो-अमेरिकन चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, इंडो-अफ्रीकन चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जापान विदेश व्यापार संगठन (जेटो), कोरिया व्यापार और निवेश एजंसी शामिल हैं।

अमोनिया गैस रिसाव मामला

कंपनी ने कहा, हमारी सुरक्षा प्रणाली मजबूत

चेन्नई, 30 दिसंबर (भाषा)।

कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की चेन्नई स्थित उर्वरक विनिर्माण इकाई में अमोनिया सुरक्षा प्रणालियां किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणालियों से सुसज्जित पाइपलाइन का नियमित निरीक्षण किया जाता है। कंपनी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

कंपनी ने एक बयान में कहा में भर्ती कराया गया था। कि तमिलनाड् सरकार द्वारा नियुक्त एक उच्चस्तरीय कार्कोनाडाऔर विशाखापत्तनम तकनीकी दल (सिमिति) ने 27 में भी ऐसे ही उर्वरक संयंत्र हैं।

दिसंबर को अमोनिया प्रबंधन प्रणाली का विस्तृत निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस दल में राज्य प्रदषण नियंत्रण बोर्ड, आइआइटी शिक्षाविद् और पर्यावरण एजंसियों के विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल थे। इससे लिए काफी 'मजबूत' हैं और पहले उत्तरी चेन्नई के एन्नोर में स्थित कंपनी की उर्वरक विनिर्माण इकाई से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था। हाल ही में इकाई में अमोनिया गैस रिसाव के बाद कई लोगों को अस्पताल

मुरुगप्पा समूह की फर्म के

उड़ान के दौरान यात्री को परोसे गए 'सैंडविच' में कीडा मिला

नई दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय राजधानी से मुंबई जा रही इंडिगो की उड़ान में एक यात्री ने परोसे गए सैंडविच में कीडा मिलने की बात कही।

यात्री ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। एअरलाइन ने इस संबंध में माफी

मांगते हुए कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। यह घटना शुक्रवार को दिल्ली से मुंबई जाने वाली उड़ान 6ई 6107 में हुई।

महिला यात्री खुशब् गुप्ता ने उड़ान के दौरान दिए गए सैंडविच में कीड़ा मिलने का एक छोटा वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra प्रधान कार्यालय : लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर,

पुणे - 411 005 प्रस्ताव हेत् अनुरोध (आरएफपी)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पात्र तथा प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं / बोलीदाताओं से "आरएफपी -41/2023-24 बैंक ऑफ महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण उपकरणों (बीएएस) की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव" हेत् मृहरबंद निविदा प्रस्ताव (तकनीकी बोली तथा वाणिज्यिक बोली) आमंत्रित करता है।

विस्तृत जानकारी बैंक की वेबसाइट https://www.bankofmaharashtra.in पर 'टेंडर सेक्शन' में तथा जेम पोर्टल https://gem.gov.in पर दिनांक 30.12.2023 से उपलब्ध रहेगी। बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 24.01.2024 17:00 hrs. संबंधित परिशिष्ट भी उपर्युक्त वेबसाइट पर जारी किए जायेंगे । निविदाओं से संबंधित सभी अन्य अपडेट जेम पोर्टल पर भी उपलब्ध होंगे। बैंक बिना कोई कारण बताए आरएफपी प्रक्रिया रद्व या पुनर्निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

दिनांक: 30/12/2023 महाप्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी

इंडियन ओवरसीज बैंक रेलवे स्टेशन रोड , पलवल (हरियाणा) -121102 ईमेल : iob1667@iob.in फोन :01275-246488 परिशिष्ट IV

कब्जा-सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8(1))

अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पूनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत इंडियन ओवरसीज बैंक के अधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने दिनांक 02.08.2023 को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें निम्नानुसार उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं / गारंटरों

क्रम iक	ऋणकर्ता	क्रम iक	गारंटर / बंधककर्ता			
01.	मेसर्स श्री श्याम ट्रेडिंग कंपनी (उधारकर्ता फर्म) स्वर्गीय श्री सतबीर सिंह (फर्म के मालिक)के कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से।	02.	श्रीमती माया देवी पत्नी स्वर्गीय श्री सतबीर सिंह आवासीय पताः मकान नंबर 597, वार्ड नंबर 31, किला पार्क के पास, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पलवल, हरियाणा—121102			
	दुकान का पताः दुकान नंबर 13, अनाज मंडी हथीन, तहसील; हथीन जिलाः पलवल, हरियाणा—121103	03.	श्री राजबीर सिंह पुत्र स्व. छज्जू राम आवासीय पताः गांवः रतिपुर, पीएनबी आरसेटी सेंटर के पास, पलवल, हरियाणा — 121102			
		04.	श्री कृष्ण मोहन पुत्र स्व. सीता राम, आवासीय पताः मकान नंबर 10, जैन मंदिर के पास, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पलवल, हरियाणा—1211102			

से नोटिस में उल्लिखित राशि 31.07.2023 तक रु.17,00,548.09 डीआर के साथ संविदा दरों पर अतिरिक्त ब्याज और वसूली की तारीख तक शेष , शुल्क आदि को उक्त नोटिस की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर ऋण चुकाने का आह्वान किया जा रहा है। (1) उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं / गारंटरों द्वारा उक्त राशि चुकाने में विफल रहे, उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं / गारंटरों और आम जनता को एतद्दवारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर 27 दिसंबर 2023 को कब्जा कर लिया है।

(2) विशेष रूप से उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं / गारंटरों और आम जनता को उक्त संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने की सलाह दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेनद. ेन करने पर 31.07.2023 तक रु.17,00,548.09 डीआर के साथ नोटिस में उल्लिखित उपरोक्त तिथि से भूगतान की तारीख तक संविदात्मक दरों पर ब्याज और सहमति के अनुसार शेष, शुल्क आदि के साथ, डिमांड नोटिस जारी करने के बाद ,िकए गए पुनर्भुगतान यदि हो, को घटाकर धनराशि, इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रभार के अधीन

कब्जा लेने की तिथि पर देय बकाया राशि रु. 17,41,643.21 (सत्रह लाख इकतालीस हजार छह सौ तैंतालीस और इक्कीस पैसे मात्र) भूगतान की तारीख तक संविदात्मक दरों और बाकी शुल्कों आदि पर अतिरिक्त ब्याज आदि देययोग्य है। (3) उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं / गारंटरों का ध्यान प्रतिभूति संपत्ति को भुनाने हेतु उपलब्ध समय के संबंध में. अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

श्रीमती माया देवी पत्नी स्वर्गीय श्री सतबीर सिंह, श्री राजबीर सिंह पुत्र स्व. छज्जू राम एवं श्री कृष्ण मोहन पुत्र श्री सीता राम के नाम पर अनाज मंडी हथीन, तहसीलः हथीन, जिलाः पलवल -121103 में स्थित साम्यिक बंधक पीएफ वाणिज्यिक दुकान नंबर 13 क्षेत्रफल 300 वर्ग गज (20 फीट ' 135 फीट) है।

पूर्वः दुकान नंबर 14 पश्चिमः दुकान नंबर 12 उत्तरः सर्विस रोड दक्षिणः सड़क एफएमवीः रु. 83.56 लाख और एफएसवीः रु. 66.85 लाख दिनांकः 27.12.2023

स्थानः पलवल

प्राधिकृत अधिकारी इंडियन ओवरसीज बैंक,

(ऑर्डर 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय श्रीमान इन्द्रप्रीत सिंह जोश, पीठासीन अधिकारी कमर्शियल कोर्ट सं.१, कासना, गौतमबुद्धनगर, उ०प्र० सिविल वाद (कमर्शियल) सं०–१८९/२०२३

युको बैंक, ए बोडी कारपोरेट, इयुली कन्स्टीट्यूटिड अण्डर द बैंकिंग क० (एक्युशन एण्ड ट्रांसफर ऑफ अण्डरटेकिंग) एक्ट 1970 ऑफिस-10ए, वी. टी.एम., सरानी कोलकाता-700001 व शाखायें सम्पूर्ण भारतवर्ष में व अन्य स्थान- सेक्टर-22, नोएडा शाखा ग्रीन इण्डिया पैलेस लेबर चौक अपोजिट सेक्टर-62 नोएडा गौतमबुद्धनगर द्वाारा ब्रांच मैनेजर व पल्लवी गर्ग आधार नं.3452 3777 0060, ई-मेल: sec.22@ucobank.co.inवादी

नैसर्स इनोवेटिव मशीन दूल्स द्वारा प्रो० मौ० साकिब सैफी पता-45 फुटा रोड मेरठ रोड हिण्डन विहार गाजियाबाद उ०प्र०-201001. अन्य पताः म.नं. 637 गली नं.4, हिण्डन विहार

गाजियाबाद उ०प्र०-२०१००१प्रितबादी

हरगाह वादी ने आपके नाम एक नालिश वाद दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 04/01/2024 बरवक्त 10 बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमें के हालात से करार वाकाई वाकिफ किया गया हो और कुछ उमराई अहम मुतल्लिका मुकदमा का जवाब दे सके, हाजिर हो और जवाबदेही दावा की करे और आपको लाजिम है कि उसी रोज अपने दस्तोवज पेश करे जिस पर आप अपनी जवाबदेही के दस्तखत करना चाहते हो।

बरवक्त मेरे दस्तख्त और मुहर अदालत के आज तारीख 24.11.2023 ई जारी किया गया।

न्यायालय की मुहर

हस्ताक्षर/मुन्सरिम, कमर्शियल कोर्ट सं0-1, गैतमबुद्ध नगर

मैगनम वैंचर्स लिमिटेड सीआईएन : L21093DL1980PLC010492

पंजीकृत कार्यालयः एचएनओ—एमएन ० १, हब औरओक , ई – 14 , लोअर ग्राउंड फ्लोर , डिफेंस कॉलोनी , नई दिल्ली – 110 0 24 . दूरभाष : +91–11–42420015 ई–मेल : info@magnumventures.in वेबसाइट :www.magnumventures.in

ई-मेल पते और अन्य जानकारी के अद्यतन के लिए सदस्यों को नोटिस देनांक 15 दिसंबर, 2023 के विज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए यह सूचना दी जाती है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी सभी लागु कानुनों और परिपत्रों के अनुपालन में बैठक की सुचना में निर्धारित किए जाने वाले कार्य का निपटान करने के लिए, 02 / 2023—24 कंपनी की ईजीएम (असाधारण आम सभा) दिनांक 24 जनवरी, 2024, बुधवार दोपहर 02.00 बजे वीखियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित होने वाली है । उपर्यक्त परिपत्रों के अनुसार, ईजीएम की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजी जानी है जिनकी ई-मेल आईडी पहले से ही कंपनी / निक्षेपागारों के साथ पंजीकृत है। कंपनी अपने सभी सदस्यों को पहले की प्रथाओं के समान ई—वोटिंग और दूरस्थ ई—वोटिंग सुविधा भी प्रदान कर

यदि आपकी ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है, तो ई—वोटिंग के लिए र्डजीएम की सचना और लॉगिन विवरण आपके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजा जाएगा। यदि आपने कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया ईजीएम की सूचना प्राप्त करने और ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

ई-मेल पते और बैंक खाते के विवरण का पंजीकरण / अपडेशन:

कंपनी के आरटीए यानी एमएएस सर्विसेज लिमिटेड को टी -34, दूसरी मंजिल, ओखला आँद्योगिक क्षेत्र चरण−2, नई दिल्ली−110020 पर विधिवत भरे हुए फॉर्म नंबर में एक अनरोध भेजें। आईएसआर-1. जिसे निवेशक संबंध टैब के साथ-साथ आरटीए की वेबसाइट यानी www.masserv.com डाउनलोड टैब के तहत www.magnumventures.in धारण पर कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आप डिजिटल हस्ताक्षर के साथ फॉर्म नंबर आईएसआर -1 भी भेज सकते हैं आरटीए की ईमेल आईडी cs mvl@cissahibabad.in पर कंपनी को चिहित प्रति investor@masserv.com पर

डीमैट किपया अपने डीपी से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल होल्डिंग पता और बैंक खाता विवरण पंजीकृत करें।

ई-वोटिंग जानकारी: कंपनी एनएसडीएल द्वारा व्यवस्थित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सेवाओं के माध्यम से अपने शेयरबारकों को दूरस्थ ई—वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक बोटिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बारे में विवरण ईजीएम की सूचना में प्रदान किया जाएगा और कंपनी की वेबसाइट www.magnumventures.in पर भी उपलब्ध कराया जाएगा ईजीएम की सुचना www.magnumventures.in पर कंपनी की वेबसाइट और बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और एनएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगीद्य वीसी के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा। मैगनम वैंचर्स लिमिटेड के लिए

तिथि: 30.12.2023 स्थान: गाजियाबाद

अभय जैन (प्रबंध-निदेशक)

हस्ता/-

रेल यात्रीः कृपया ध्यान दें! नई अमृत भारत और वन्दे भारत सेवाओं की शुरूआत

सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित समय-सारणी के अनुसार उत्तर रेलवे नेटवर्क पर निम्न नई अमृत भारत और वन्दे भारत टेन सेवाएं प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है:-

१५५५७/१५५५८ दरभंगा-आनन्द विहार (टर्मि.)-दरभंगा अमृत भारत रेलगाड़ी (सप्ताह में 2 दिन)

. 15557		रलगाड़ा स. 15558		
प्रस्थान	स्टरान	आगमन	प्रस्थान	
15:00	दरभंगा	11:50		
02:35	अयोध्या धाम	01:10	01:15	
	आनन्द विहार (टर्मि.)		15:10	
	प्रस्थान 15:00 02:35	प्रस्थान 15:00 दरमंगा 02:35 अयोध्या धाम	प्रस्थान स्टशन आगमन 15:00 दरमंगा 11:50 02:35 अयोध्या धाम 01:10	

वलने के दिन: 15557 दरभंगा से दिनांक 02.01.2024 (सोमवार, वीरवार) को और 15558 आनन्द विहार (टर्मि.) से दिनांक 01.01.2024 (मंगलवार, शुक्रवार) को । **ठहरावः** कमतील, जनकपुर रोड, सीतामढी, बैरगनियां, रक्सौल, नरकटियागंज, बगहा, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर, अयोध्या धाम, लखनऊ, कानपुर सेन्ट्रल, इटावा, ट्रण्डला जं. एवं अलीगढ़ जं. स्टेशन। **स्थान** : शयनयान एवं सामान्य

22478/22477 श्री माता वैष्णों देवी कटड़ा-नई दिल्ली श्री माता वैष्णों देवी कटड़ा वन्दे भारत रेलगाड़ी (सप्ताह में 6 दिन बुधवार छोड़कर) रेलगाडी सं. 22477 रेलगाडी सं. 22478 स्टेशन प्रस्थान आगमन प्रस्थान आगमन श्री माता वैष्णों देवी कटडा 06:00 23:00 नई दिल्ली 14:00 15:00 चलने के दिन : 22478 श्री माता वैष्णों देवी कटडा से और 22477

नई दिल्ली से दिनांक 04.01.2024 से (सप्ताह में छ: दिन बुधवार छोड़कर)। **ठहरावः** जम्मू तवी, लुधियाना एवं अंबाला जं. स्टेशन।

स्थान : वाता. एग्जीक्यूटिव कुसीयान एवं वाता. कुर्सीयान 22488/22487 अमतसर-दिल्ली जं.-अमतसर

वन्दे भारत रेलगाड़ी (सप्ताह में ६ दिन शुक्रवार छोड़कर) रेलगाडी सं. 22488 रेलगाडी सं. 22487 स्टेशन आगमन प्रस्थान आगमन प्रस्थान 08:20 20:45 अमृतसर दिल्ली जं. 13:50 15:15

वलने के दिन : 22488 अमृतसर से और 22487 दिल्ली जं. से दिनांक 06.01.2024 से (सप्ताह में छः दिन शुक्रवार छोड़कर)। **ठहरावः** ब्यास, जलंघर केंट, फगवाड़ा, लुधियाना एवं अंबाला जं. स्टेशन ।

स्थान : वाता, एग्जीक्यूटिव कुसीयान एवं वाता, कुर्सीयान

22426/22425 आनन्द विहार(टर्मि.)-अयोध्या कैंट-आनन्द विहार(टर्मि.) वन्दे भारत रेलगाड़ी (सप्ताह में ६ दिन बुधवार छोड़कर) रेलगाडी सं. 22426 रेलगाडी सं. 22425 स्टेशन आगमन प्रस्थान आगमन प्रस्थान आनन्द विहार (टर्मि.) 23:40 06:10

14:30 अयोध्या केंट 15:20 वलने के दिन : 22426 आनन्द विहार (टर्मि.) से और 22425 अयोध्या कैंट से दिनांक 04.01.2024 से (सप्ताह में छ: दिन बुधवार छोड़कर)। **उहरावः** कानपुर एवं लखनऊ स्टेशन।

स्थान : वाता. एग्जीक्यूटिव कुसीयान एवं वाता. कुर्सीयान

रेलयात्रियों से अनुरोध है किसी भी जानकारी के लिए रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 पर सम्पर्क करें अथवा रेलवे की वेबसाइट https://enquiry.indianrail.gov.in अथवा NTES ऐप देखें

रेलमदद वेबसाईट दखें: www.railmadad.indianrailways.gov.in रेलमदद ऐप डाउनलोड करें



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता बागपत वृत्त. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कार्यालय परिसर, मण्डोला विहार, गाजियाबाद-201102 ईंगेल:-circlem@upavp.com

अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण की सूचना

मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद के विभिन्न सेक्टरों में एकल / टू-बिड सिस्टम के अन्तर्गत ऑनलाईन ई—निविदा सूचना संख्या—1483 / पी0आर0ओ0—50ई / 59, दिनांक 30.12.2023 द्वारा आमंत्रित की गयी हैं। निविदा से सम्बन्धित वेवरण वेबसाइट www.upavp.com एवं कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में अधीक्षण अभियन्ता

> प्रपत्र-3 [विनियम -15(1)(क)]/16(3) देखें ऋण वसुली न्यायाधिकरण, चंडीगढ (डीआरटी-2)

प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, घंडीगढ़, (तृतीय और चतुर्व तल पर भी अतिरिक्त स्थान आयंटित)

वाद सं. ओए/3148/2018 अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2क) के तहत सम्मन

इलाहाबाद बैंक

अमित गुप्ता

2. मैसर्स सुपरसिटी डेवलपर्स प्रा. लि. इसके प्रबंध निदेशक के माध्यम से, जिसका पंजीकृज कार्यालय 6. भारती कॉलोनी प्रीत विहार दिल्ली - 110092

जबकि, ओए/3148/2018 माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष 27-12-2023 को प्रस्तुत

जबिक, यह माननीय न्यायाधिकरण रू. 28,67,218/- के ऋण की वसूली के लिए आपके विरूद्ध दाखिल किए गए (ओ.ए.) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन/नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है। (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न) अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार आप प्रतिवादियों को निम्न निर्देश दिया जाता है:-

(i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए; (ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त

सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें; (iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निस्तारण के दौरान, प्रत्याभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में

संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है: (iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभृति हित सुजित किया गया है तथा√अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री, पटटा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोडकर, न्यायाधिकरण की पूर्व

अनमति के बिना, नहीं करेंगे: (V) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभृति हित धारक बैंक

अधवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेतु जिम्मेदार होंगे। आपको लिखित बयान दाखिल करने. उसकी प्रति आवदेक को मुहैया कराने तथा दिनांक 20/01/2024 को पूर्वा. 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश हाने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन

की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 28/12/2023 को दिया गया।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर सम्मन जारी करने हेत्

हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (पूर्व में रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रूप में विदित)

पंजी. कार्यालय : 205, द्वितीय तल, कीर्ति महल, राजेंद्र प्लेस, पटेल नगर पश्चिम, नई दिल्ली, 110008 निगमित कार्यालय : प्लॉट नं. 312, उद्योग विहार, फेज-IV, गुरुग्राम, 122015, हरियाणा,

सीआईएन : L74899DL1987PLC027050, वेबसाइट : www.riteshindustries.us ई-मेल आईडी : riteshlimited8@gmail.com, दूरभाष : +91 92123 59076

असाधारण सामान्य सामान्य बैठक ("ईजीएम") और ई—वोटिंग जानकारी की सूचना

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड ("कंपनी") (पूर्व में रितेश प्रॉपर्टींज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रूप में विदित) के सदस्यों की असाधारण सामान्य बैठक ("ईजीएम") गुरुवार 25 जनवरी 2024 को दोपहर 12:00 बजे (आईएसटी) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल संसाधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जो कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र दिनांक 28 दिसंबर 2022, 5 मई 2020, 17 अप्रैल 2020 एवं 8 अप्रैल 2020, सेबी द्वारा निर्गत परिपत्र दिनांक 5 जनवरी 2023 तथा अन्य लाग् परिपत्रों (सामृहिक रूप में ''प्रयोज्य परिपत्रों'' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") तथा वहां उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के लागू प्रावधानों के अनुसार, सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय का लेन-देन करने के

2. अधिनियम के अनुपालन में और लागू परिपत्रों के अनुसार, कंपनियों को वीसी अथवा ओएवीएम के माध्यम से अपनी ईजीएम का संचालन करने की अनुमति दी जाती है, जिसमें कि बैठक के सामान्य स्थल पर सदस्यों, निदेशकों, लेखापरीक्षकों और अन्य व्यक्तियों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, यह देखते हुए कि कंपनी की ईजीएम का संचालन वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से किया जा रहा है। ईजीएम के लिए मानित स्थल जो होगा वह 205, द्वितीय तल, कीर्ति महल, राजेंद्र प्लेस, पटेल नगर, पश्चिम दिल्ली, मध्य दिल्ली–110008 में स्थित कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा अतः, सदस्यगण केवल वीसी / ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित हो सकते

3. प्रयोज्य परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी के ईजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति को, अन्य बातों के साथ-साथ, ई-वोटिंग की प्रक्रिया और विधि को दर्शाते हुये, उन सभी सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से भेजा जाएगा जिनके ई-मेल आईडी कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") / डिपॉजिटरी प्रतिभागी ("डीपी") के साथ पंजीकृत हैं और जो 18 जनवरी 2024 के व्यावसायिक घंटों के समापन के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्ट हैं। सदस्यगण ध्यान दें कि ईजीएम की सूचना, कंपनी की वेबसाइट www.riteshindustries.us पर और बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा, ईजीएम की सूचना, सेंट्रल डिपॉजिटरीज सिक्योरिटीज लिमिटेड ("सीडीएसएल") की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारकों को सूचनायें और अन्य संचार / लाभ भेजने के क्रम में, हम हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड ("कंपनी") (पूर्व में रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रूप में विदित) के उन सदस्यों, जिन्होंने अभी तक अपने ईमेल पते, मोबा इल नंबर, पैन नंबर, पता परिवर्तन और बैंक खाता विवरण पंजीकृत / अद्यतनीकृत नहीं किये हैं, से अनुरोध करते हैं कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से डिपॉजिटरी के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे गए शेयरों के संबंध में इन्हें पंजीक त/अद्यतनीकृत कर लें और भौतिक रूप में शेयरों को रखने के संबंध में कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, "स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड", रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट को ईमेल : info@skylinerta.com] पर मेल लिखकर और आवश्यकतानुसार कुछ प्रलेखों / जानकारियों को भेजकर यह कार्य कर लें। उन शेयरधारकों से किसी कार्रवाई की अपेक्षाा नहीं है जिनका ईमेल पता, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, पता परिवर्तन और बैंक खाता विवरण, पहले से ही अपडेट कर लिये गए हैं।

5. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 एवं सेबी सूचीकरण विनियमावली के विनियम 44 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, और उपर्युक्त लागू परिपत्रों को दृष्टिगत रखते हुये, कंपनी ने सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम द्वारा वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए सीडीएसएल की सेवाएं ली हैं ताकि वे उपर्युक्त बैठक में संव्यवहार किये जानेवाले समस्त व्यवसायों के संदर्भ में ईजीएम के दौरान इलेक्टॉनिक रूप में अपने वोट डालने में सक्षम हो सकें ईजीएम ("रिमोट ई–वोटिंग") के स्थान के अलावा अन्य स्थान से इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा सीडीएसएल द्वारा भी उपलब्ध कराई जाती है। ईजीएम से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने वाले सदस्यगण, ईजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे पूनः अपने वोट डालने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। डिमैटरियलाइज्ड रूप, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिये और उन सदस्यों के लिए जिन्होंने अपने ईमेल पते को पंजीकृत या अपडेट नहीं किया है, रिमोट ई-वोटिंग की प्रविधि की जानकारी ई-वोटिंग

अनुभाग के अनुदेशों में उपलब्ध कराई गई है जो कि इसी सूचना का हिस्सा है। 6. ईजीएम में उपलब्ध करायी जाने वाली दूरस्थ ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान के लिए सदस्यों के मतदान अधिकार, कट-ऑफ तिथि अर्थात 18 जनवरी 2024 के अनुसार कंपनी के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के शेयरों के अनुपात में होगा। एक व्यक्ति, जिसका नाम कट ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरीज द्वारा अन्रक्षित लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है (व्यवसाय के घंटों के अंत में), केवल वही बैठक में उपलब्ध होनेवाली रिमोट ई वोटिंग

या ई-वोटिंग सिस्टम की सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी होगा। 7. दूरस्थ ई—वोटिंग अवधि सोमवार, 22 जनवरी, 2024 को सुबह 09:00 बजे से शुरू होगी हैं और बुधवार, 24 जनवरी, 2024 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद, ई-वोटिंग मॉड्यूल सदस्यों द्वारा मतदान के लिए अक्षम किया जाएगा। एक बार जब शेयरधारक द्वारा एक प्रस्ताव पर वोट डाल दिया जाता है, तो शेयरधारक को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. यदि आपके पास ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप www.evoting.com पर हेल्प सेक्शन के तहत उपलब्ध अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्नों ("एफएक्य") और ई–वोटिंग मैनअल का संदर्भ ले संकते हैं. अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को एक ईमेल लिख सकते हैं अथवा शिकायतों को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर कंपनी सचिव सुश्री तरनदीप कौर को संबोधित किया जा सकता है अथवा riteshlimited8@gmail.com पर ईमेल किया

जा सकता है अथवा + 91 - 9212359076 पर काल कर सकते हैं। 9. शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना-संचा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') ने अपने परिपत्र नं. SEBI/H0/01AE/01AE JAD-1/P/CIR/2023/131 दिनांक 31 जुलाई, 2023 के द्वारा एक सामान्य ओडीआर पोर्टल की स्थापना के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति बाजार में ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जो कि प्रतिभूति बाजार में निवेशकों / ग्राहकों और सूचीबद्ध कंपनियों / निर्दिष्ट मध्यस्थों / विनियमित संस्थाओं के बीच उत्पन्न होनेवाले विवादों का समाधान करने के लिये ऑनलाइन समाधान और ऑनलाइन मध्यस्थता का उपयोग

सेबी ने अपने परिपत्र नं. SEBI/H0/01AE/01AE_IAD-1/P/C1 R/2023/135 दिनांक 4 अगस्त 2023 के द्वारा आगे स्पष्ट किया कि निवेशक सबसे पहले संबंधित बाजार प्रतिभागी के साथ सीधे शिकायत दर्ज करकेबाजार के प्रतिभागी (सूचीबद्ध कंपनियों, निर्दिष्ट मध्यस्थों, विनियमित, संस्थाओं) के साथ अपनी / उनकी शिकायतें करेगा। यदि शिकायतों का संतोषजनक ढंग से निवारण नहीं किया जाता है, तो निवेशक स्कोर पोर्टल https://scores.gov.in/scores/Welcome.html के माध्यम से उसे एस्कलेट कर सकते हैं। उपरोक्त विकल्पों को समाप्त करने के बाद, यदि निवेशक परिणाम से संतुष्ट नहीं है, तो

वह / वह / वे ओडीआर पोर्टल के माध्यम से विवाद समाधान शुरू कर सकते हैं। रमार्ट ओडीआर पोर्टल को इस लिंक से एक्सेस किया जा सकता है https://smartodr.in/login

दिनांक : 30-12-2023

स्थान : गुरुग्राम

कृते हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (पूर्व में रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रूप में विदित)

(तरनदीप कौर) कंपनी सचिव

www.readwhere.com